बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक– 02.09.15

संख्या–श्रम स्था०बी०यो० 112/2014 श्र०सं० 997 / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्र सं० S-12012/107/2015/RSBY दिनांक 11.6.15 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को हस्तांतरित किया जाता है।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के सभी Assets एवं Liabilities तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कार्यरत योजना के सभी कर्मियों को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति को हस्तांतरित किया जाता है।

3. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित किया जाता था, श्रमिकों के अन्य कल्याणकारी योजनाओं का संचालन पूर्व की भाँति करती रहेगी।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
2.9.15
(देव नन्दन यादव)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– श्रम स्था०बी०यो० 112/2014 श्र०सं० 997 / पटना, दिनांक– 02.09.15

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/निदेशक, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.9.15
सरकार के अपर सचिव।